राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–385 / 2017
पीठासीन अधिकारी:– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस

प्रार्थी:–
मूलसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बापिणी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह
2. पूंजराजसिंह शिवनाथसिंह
3. भोमुकंवर पत्नि अनोपसिंह
4. जेठमलसिंह पुत्र भीखसिंह
5. जालमसिंह पुत्र अभयसिंह
6. श्रवणसिंह पुत्र अभयसिंह
7. रूपसिंह पुत्र अभयसिंह
8. पपुकंवर पत्नि अभयसिंह
9. भोमसिंह पुत्र रतनसिंह
10. हनुमानसिंह पुत्र रतनसिंह
11. महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
12. मगसिंह पुत्र रतनसिंह
13. अणचकंवर पत्नि रतनसिंह
14. गुलाबकंवर पुत्री रतनसिंह
15. गणपतसिंह पुत्र सांवतसिंह
16. सुमेरसिंह पुत्र पूंजराजसिंह
17. नखतसिंह पुत्र पूंजराजसिंह
18. सायरकंवर पत्नि पूंजराजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बापिणी जिला जोधपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर।

उपस्थिति:–
1. श्री रूघाराम चौधरी वकील प्राथीगण।
2. श्री चन्दनसिंह भाटी वकील अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—21.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भमि ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 240, 235, 236,238,239,255,256 कुल रकबा 110 बीघा 09 बिस्वा है उपरोक्त खसरा रकबा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार है तथा वाद पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या 40 से 50 तक का उपरोक्त खसरा रकबा में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने आपसी सहमति से मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर दिया एवं अलग अलग काबिज हो गये लेकिन राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज रहा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने आपस में बंट कर लिया तथा अप्रार्थी संख्या 21 से 39 के पूर्वजों द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान करने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 21 से 39 का नाम राजस्व रेकर्ड से नहीं हटाया गया अप्रार्थी संख्या 21 से 39 ने गलत राजस्व रकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का बेान करने पर आमादा है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 21 से 39 के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 235, 236 व 239 के गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर बेचान हस्तान्तरणन तो स्वयं करें और न ही अन्य के जरिये करावें। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य के जरिये करावें मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पर जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किए गए, अप्रार्थीगण की और से वकील श्री चंदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थी ने दिनांक 24.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुझ प्रार्थी के नाम की व मेरे सह खातेदारों के नाम की जमीन में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया है तथा मैं प्रार्थी खसरा नम्बर 236 रकबा 03.17 बीघा जमीन में से सार्वजनिक रास्ता हेतु जमीन दे रहा हूं, जिस हेतु उपरोक्त खसरा नम्बर 236 रकबा 03.17 बीघा जमीन को स्थगन से मुक्त करवाया जावे। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया।

वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश नहीं किया जाने के कारण जवाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अप्रार्थीगण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हैएव प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त मे दखल अंदाजी कर रहे है। अप्रार्थीगण को यह कोई विधिक अधिकार नहीं है कि प्रार्थी की खातेदारी का बेचान हस्तान्तरण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर करें अप्रार्थीगण के इस विधि विरूद्ध कृत्य को रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम है, अतः अप्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने मे कानूनी रूप से सक्षम व स्वतंत्र है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, अतः मात्र विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र को खंडित करने बाबत कोई सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसे मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ को स्वीकार किया जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य प्रकट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 235, 239 के गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर अप्रार्थीगण बेचान हस्तान्तरणन तो स्वयं करें और न ही अन्य के जरिये करावें। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य के जरिये करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

निर्णय आज दिनाक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner